रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 1978/श्रावण 16, 1900
No. 160] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 1978/SRAVANA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० : 52 ई० टी० सी०/पी० एम०/78

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1978

विषय : 6 जून, 1966 को भारतीय रुपए का अवमूल्यन निर्यातकों की बकाया मांगों का भुगतान.

सिविल संख्या 5/10/78-ई आई:—6 जून, 1966 को भारतीय रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निपटाने के लिए भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच 2 सितम्बर, 1966 को हस्ताक्षरित प्रोटोकोल की ओर भारतीय निर्यातकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. 6 जून, 1966 से पहले निर्णीत संविदाओं के संबंध में भारतीय निर्यातकों और जर्मन जनवादी गणराज्य के आयातकों के बीच और भारतीय आयातकों और जर्मन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों के बीच बकाया मांगों के अंतिम भुगतान से संबंधित प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। सरकार इस बात का सुनिश्चय करना चाहती है कि इन मामलों को निपटाने के लिए जर्मन जनवादी गणराज्य के आयातकों से भारतीय निर्यातकों द्वारा प्राप्त करने योग्य सभी बकाया मांगों पर विचार किया जाए, और इसीलिए जर्मन जनवादी गणराज्य की पार्टी के प्रति जो बकाया मांग है उसकी सूचना भारतीय निर्यातकों को वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय, वाणिज्य विभाग [एफ० टी० (ई ई) अनुभाग] की प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि के एक महीने के भीतर समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ देनी चाहिए । सूचना निम्न-लिखित ब्यौरे देते हुए भेजनी चाहिए :—

1. फर्म का पूरा नाम और पता
2. संविदा की संख्या और तिथि
3. जर्मन जनवादी गणराज्य के क्रेता का नाम और पता
4. 6-6-1966 की संविदा के निष्पादन की सीमा
5. संविदा मे उल्लिखित दर/कीमत,
6. 6-6-1966 को या बाद में किए गए पोतलदानों पर देय भुगतान
7. पिछले पोत लदानों पर 6-6-1966 को पूर्ण रूप मे या आंशिकरूप में प्राप्त किए जाने वाले भुगतान जिनके लिए उस तिथि को या उसके बाद मे दस्तावेज सौदों की प्रक्रिया में या एकत्रीकरण के आधार पर पहले ही भेज दिए गए थे।
8. जर्मन जनवादी गणराज्य के क्रेताओं से वसूल की गई अवमूल्यन के अंतर की धनराशि।
9. अब भी बकाया धनराशि ।

का० वे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 52-ETC(PN)/78

New Delhi, the 7th August, 1978

Subject :—Devaluation of Indian rupee on the 6th June, 1966—settlement of outstanding claims of exporters.

File No. 5/10/78-EI.—Attention of the Indian exporters is invited to the Protocol signed on 2nd September, 1966 between India and the German Democratic Republic to settle the problems arising as a consequence of devaluation of Indian rupee on 6th June, 1966.

2. Questions relating to final settlement of outstanding claims between the Indian exporters and German Democratic Republic importers and vice-versa, in respect of contracts concluded prior to 6th June, 1966 are under consideration of the Government. Government would like to ensure that in dealing with these matters all claims outstanding in favour of the Indian exporters due from the German Democratic Republic importers are taken into consideration, and, therefore, the Indian exporters should intimate to the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation, Deptt. of Commerce, [FT(EE) Section] any claim that may be outstanding against the G D R parties, with the supporting documentary evidence within one month from the date of issue of this Public Notice. The information should be furnished giving the following details :—

1. Full name and address of the firm.
2. Contract No. and date.
3. Name and address of the GDR buyer.
4. The extent of performance of the contracts on 6-6-1966.
5. The rate/price mentioned in the contracts.
6. Payments due on shipments effected on or after 6-6-1966.
7. Payments due in full or in part on 6-6-1966 on earlier shipments for which documents were on or after that date in the process of negotiation or were sent already on collection basis.
8. Amount of devaluation difference realised from the GDR buyers.
9. Amount still outstanding.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978